राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **282/2024**

दायर तारीख **16/12/2024**

अनवान

01. कंचन पुत्री भेरू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. कैलाश पुत्र कालु जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
03. नन्दूबाई पत्नि हीरालाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
04. नानी पुत्री भेरू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
05. पुष्पा पुत्री भेरू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
06. मांगीबाई पत्नि प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
07. रेखा पुत्री हीरालाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
08. राजू पुत्र कालु जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
09. विमला पुत्री प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
10. शान्ती पुत्री प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
11. सुशीला पुत्री कालु जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
12. सीमा पुत्री प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
13. स्व. रूकमा पत्नि कालु जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
    - 1/13. कैलाश पुत्र कालु माता रूकमा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
    - 2/13. सुशीला पुत्री कालु माता रूकमा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

............प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. देवकीनन्दन पुत्र हीरालाल जाति कलवार उम्र वयस्क निवासी 9बी कमला उद्यान कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल मुकाम प्रगति नगर बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... विपक्षीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी – ....अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार – विपक्षी संख्या 1
3.श्री रामफूल धाकड़ – ....अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 / 11 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता सुनील कुमार जोशी ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 1566/235 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1569/237 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1810/237 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 236 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 444/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 565/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 571 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.1242 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 की उसी ग्राम की आराजी संख्या 2166/238 बिलानाम भूमि में दर्ज करवाना चाहा हैं प्रार्थीगण वर्षों से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। उक्त भूमि में विपक्षीगण संख्या 2 के द्वारा ट्यूबवेल खोदकर अवरोध उत्पन्न कर रखा हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2166/238 में 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2075–2078 ग्राम बिजौलियां कलां, रिपोर्ट पुलिस थाना बिजौलियां/एस.पी. भीलवाड़ा एवं जमाबन्दी 2166/238 पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 16.12.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला–भीलवाड़ा

क्रमांक / स्थापना / 2025 / 3007

दिनांकः 13 / 11 / 2025

–ःकार्यालय आदेशः–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक क्रमांक / एफ1–9स्था / 2024–25 / 16633 दिनांक 07.11.2025 द्वारा कार्यालय कार्मिक श्री रोशन मीणा निजी सहायक ग्रेड–2 के दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ जिला परिषद कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 17.11.2025 उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस क्रम में उक्त कार्मिकों श्री रोशन मीणा को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2025 को मीटिंग हॉल कार्यालय जिला परिषद भीलवाड़ा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ नियत समय पर उपस्थिति देवें। कार्मिक नियमानुसार टी.ए. / डी.ए. बिल का भुगतान पे– मैनेजर से प्राप्त करें।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

प्रतिलिपीः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
02. सबंधित कार्मिक रोशन मीणा निजी सहायक ग्रेड–2।
03. रक्षित पत्रावली।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

राजस्थान सरकार

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/834 दिनांक 22.04.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1028 दिनांक 19.06.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पंत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 बिजौलियां कला एवं पटवारी हल्का बिजौलियां कला की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजौलियां कलां में आ0नं0 1566/235, 1569/237, 1810/237, 233, 236, 444/3, 565/1, 571 किता 8 रकबा 3.1242 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात् पर वर्तमान में पहुंचने हेतु मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणो द्वारा 30 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। कृषि कार्य हेतु 20 फीट का रास्ता बिलानाम आराजीयात् मे से प्रस्तावित किया गया है। ग्राम बिजोलियां कलां की बिलानाम आराजी नं0 2166/238 रकबा 3.3630 है0 व बिलानाम आ0नं0 1570/237 रकबा 0.1214 है0 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं जो निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में) (ल0xचौ0)
1.	2166/238	3.3630	92x6 मीटर यानि 552 व0मी0
2.	1570/237	0.1214	14x6 मीटर यानि 84 व0मी0
	कुल		636 व0मी0

उपरोक्तानुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसे संलग्न नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आ.नं. 2166/238 व 1570/238 आबादी क्षेत्र से लगते हुऐ है। स्वीकृत खनन क्षेत्र से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर, संभावित खनन क्षेत्र से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर, NH से 01 कि.मी. से अधिक दूरी पर, औधोगिक क्षेत्र से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रार्थीगणो के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। SH से आ0नं0 2166/238 से 298 मीटर की दूरी पर व आ0नं0 1570/238 से 612 मीटर की दूरी पर स्थित है।

ग्राम बिजौलियां कलां की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 2166/238 रकबा 3.3630 है0 मे से रकबा 0.0552 है0 व आ0नं0 1570/237 रकबा 0.1214 है0 मे से 0.0084 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0636 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 879700/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 55949/– रूपये का दुगुना से 111898/– रूपये की राशि बनती है। अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रति सलंग्न की है।

तहसीलदार बिजौलियां ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 1566/235 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1569/237 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1810/237 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 236 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 444/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 565/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 571 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.1242 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की ग्राम बिजौलियां कलां की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 2166/238 रकबा 3.3630 है0 मे से रकबा 0.0552 है0 व आ0नं0 1570/237 रकबा 0.1214 है0 मे से 0.0084 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0636 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलियां कलां की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 2166/238 रकबा 3.3630 है0 मे से रकबा 0.0552 है0 व आ0नं0 1570/237 रकबा 0.1214 है0 मे से 0.0084 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0636 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 879700/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 55949/– रूपये का दुगुना से 111898/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा